भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 830

जिसका उत्तर 20 दिसम्बर, 2017 को दिया जाना है।

29 अग्रहायण, 1939 (शक)

सोशल मीडिया पर महिलाओं का उत्पीड़न

830. डॉ. उदित राज :

क्या इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सोशल मीडिया साइटों पर महिलाओं के उत्पीड़न संबंधी मामलों की संख्या में वृद्धि हो रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा सोशल मीडिया साइटों पर महिलाओं के ऐसे उत्पीड़न और ट्रोलिंग को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं ?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री एल्फोंस कन्ननथानम)

(क) : सरकार सोशल मीडिया साइटों पर विशेष रूप से महिलाओं के उत्पीड़न के संबंध में कोई डाटा नहीं रखती है।

(ख) : सोशल मीडिया साइटों पर महिलाओं के उत्पीड़न सहित सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सूचना सामग्री डालने से रोकने के लिए निरोधक प्रावधान के रूप में कार्य करने हेतु कानूनी और अन्य प्रावधान किए गए हैं :

(i) सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000 में आपत्तिजनक सूचना सामग्री के प्रकाशन अथवा प्रसारण के लिए दंड का प्रावधान है। अधिनियम में निम्नलिखित प्रावधानों/धाराओं के जरिए दंड का प्रावधान है;

- धारा 66ड.: गोपनीयता/निजता के उल्लंघन के लिए दंड
- धारा 67 : इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री के प्रकाशन अथवा प्रसारण के लिए दंड
- धारा 67क : इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील कार्यों में लिप्त दिखाने वाली सामग्री के प्रकाशन अथवा प्रसारण के लिए दंड
- धारा 67ख : इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील कार्यों में बच्चों को लिप्त दिखाने वाली सामग्री के प्रकाशन अथवा प्रसारण के लिए दंड

(ii) अधिनियम की धारा 79 के अंतर्गत अधिसूचित सूचना प्रौद्योगिकी (माध्यस्थ दिशा-निर्देश) नियमावली, 2011 में अन्य बातों के साथ-साथ यह विनिर्दिष्ट किया गया है कि माध्यस्थ कम्प्यूटर संसाधनों के प्रयोक्ताओं को ऐसी कोई भी सूचना सामग्री होस्ट, प्रदर्शित, अपलोड, संशोधित, प्रकाशित, प्रसारित, अद्यतन अथवा साझा न करने के लिए सूचित करेंगे जो पूरी तरह से खतरनाक, आपत्तिजनक, अवयस्कों को प्रभावित करने वाली और किसी भी अन्य तरीकों से गैर-कानूनी है और समय-समय पर लागू किसी भी नियम का उल्लंघन करती हो।

(iii) इसके अलावा, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1860 में 354डी : पीछा करना (धारा 354डी) और घूरना (354सी) के लिए दंड का प्रावधान है।

(iv) गृह मंत्रालय (एमएचए) 195.83 करोड़ रुपए के परिव्यय से महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध साइबर अपराध रोकथाम (सीसीपीडब्ल्यूसी) योजना पर कार्य कर रहा है। इस योजना के लिए निर्भया निधि से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

(v) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने एक एंटी-ट्रोलिंग हेल्पलाइन काम कर रही है। यह महिलाओं और बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर गलत व्यवहार, उत्पीड़न और घृणित आचरण के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराने के लिए एक प्लेटफार्म उपलब्ध कराता है। शिकायतें complaint-mwcd@gov.in पोर्टल पर प्राप्त की जाती हैं अथवा #HelpMeWCD हैजटैग के साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट की जाती हैं। जुलाई, 2016 में इसकी स्थापना से अब तक 165 शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

*****